न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/556

1. प्रभू आत्मज केसरा जाति चमार निवासी पीपलवासा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. मदन आत्मज केसरा जाति चमार निवासी पीपलवासा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. कजोड आत्मज केसरा जाति चमार निवासी पीपलवासा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलंदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 19.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार हिण्डोली ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र बाबत् आवंटन निरस्त कराने का पेश कर कथन किया कि केसरा आत्मज चन्दा जाति बैरवा निवासी पीपलवासा को ग्राम पीपलवासा की आराजी खसरा नम्बर 624 की रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा दिनांक 16.06.1976 को आवंटित की गई थी । केसरा के वारिसान द्वारा दिनांक 18.05.2009 को नोटेरी के माध्यम से बेचान कर दिया गया है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है । अतः आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.06.2016 के द्वारा तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आवंटी केसरा के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 16.06.1976 निरस्त कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2016 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट में यह मानते हुए कि आवंटी के वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने के आधार पर आवंटन खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र कब्जे का आधार मानकर आवंटन को खारिज कर दिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.07.2016 को हुई जिस पर अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट को सन् 1976 में आवंटित हुई थी आवंटी ने आवंटित भूमि का बेचान नहीं किया है । गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन खारिज किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट में यह लिख कर कि भूमि पर अपीलान्ट का एवं उसके वारिसान का कब्जा काश्त नहीं है के आधार पर आवंटन खारिज किया है । आवंटित आराजी पर अपीलान्ट का ही कब्जा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने कथन किया कि पत्रावली पर एक इकरारनामा की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी का बेचान किया है आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर तहसीलदार हिण्डोली का एक प्रार्थना पत्र संलग्न है जिसमें रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी को आवंटी केसर के वारिसान के द्वारा दिनांक 18.05.2009 को नोटेरी के माध्यम से बेचान कर दिया गया है इसलिए आवंटन खारिज किया जावे । पत्रावली पर दिनांक 18.05.2009 के विक्रय के इकरारनामा की फोटो प्रति संलग्न है । यह इकरारनामा नोटेरी से तस्दीकशुदा है, पंजीकृत नहीं है । नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 73 के अनुसार वादग्रस्त आराजी अपीलान्टगण की गैर खातेदारी में दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय ने 2009 में विक्रय इकरारनामा के आधार पर वादग्रस्त आराजी के आवंटन को निरस्त किया है । अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया है और अप्रार्थी का जवाब उसी दिन बन्द करके निर्णय पारित किया गया है । आवंटन सन् 1976 का है अपीलान्टगण एवं उनके पिता ने आवंटन शर्तों की पालना की है अथवा नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए आवंटन के तुरन्त बाद के 02 वर्षों की खसरा गिरदावरी का अवलोकन किया जाना अनिवार्य है। वर्ष 2009 के विक्रय के इकरार के आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि 100/– रूपये से अधिक के मूल्य की अचल सम्पत्ति का विक्रय पंजीकृत विक्रय पत्र से ही हो सकता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण का जवाब बन्द किया है । हम न्यायहित में अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक समझते हैं । आवंटन सन् 1976 है, जिसे 40 वर्ष बाद निरस्त किया है जबकि राजस्व मण्डल ने कई नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि इतने पुराने आवंटन को Fraud and misrepresentation प्रमाणित होने के उपरान्त ही खारिज किया जा सकता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए अप्रार्थी का जवाब बन्द करके उक्त अपीलाधीन निर्णय बिना सीपीसी की पालना किये ही पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 19.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा